कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गदका की चौकी, करोली-322241,फोन.न.07464-297003, Email: dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः-एफ()वसु/ उवसं/2023-24/ **515** 6 निमत,

दिनांक:- | 8 / 8 / 2023

मुख्य वन संरक्षक भरतपुर।

विषय:-Diversion of 0.5265 ha. Of forest land in favour of Public Work Department Karauli for Construction of Road from Kota to Pator Km 0/0 to 3/000

प्रसंग:-कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान के पत्र क्रमांक 7098 दिनांक 11.08.2023 के क्रम में। महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान के पत्र क्रमांक 7098 दिनांक 11. 08.2023 से उक्त विषयांकित प्रकरण में लगाए गए आक्षेप की पूर्ति निम्नानुसार कर प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.No.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	Partial complied. DCF submitted the CA scheme of 670 plants but 100 plants are mentioned at top of the scheme. Kindly rectified it with providing KML file.	शीर्ष पर 100 पौधों के स्थान पर 670 कर दिया गया है।
2	Partial complied. DCF submitted the Copy of notification of forest land of kota A forest Block but the Village (pator and kanwarpura) where the proposed land of falling are not coverd in kota Aforest Block. For Proposed diversion has not submitted.	की अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत की हैं, जिसने गांव पाटोर और कंवरपुरा का नाम नहीं है, परन् मौका स्थिति अनुसार उक्त प्रस्ताव की भूमि गांव पाटोर और कंवरपुरा के अन्तर्गत ही आती है।
3	Partial complied. Justification provide by CCF. As per Attached Forest Block Kota A, the proposed forest land (villages e.g. pator and kanwarpura) are not coverd in Kota A Forest Block. Justified Required.	कि सही है। क्योंकि मौका स्थिति अनुसार उक्त

(लखन सिंह) उप वन संरक्षक करौली

दिनांक:- / /2023

क्रमांकः—एफ()वसु / उवसं / 2023—24 / प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है— 1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।

> उप वन संरक्षक करौली